दूसरी जी20 रोजगार कार्य समूह की बैठक

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 27 मार्च, 2024 से ब्राजील की अध्यक्षता के तहत दो दिवसीय दूसरी रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की बैठक ब्रासीलिया में शुरू हुई।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि जी20 ईडब्ल्यूजी का कार्य सभी के लिए मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और भरपूर नौकरियों से युक्त विकास के लिए श्रम, रोजगार और सामाजिक मुद्दों का समाधान करना है।
- भारत जी20 ट्रोइका का सदस्य है, जिसका प्रतिनिधित्व श्रम और रोजगार सचिव सुश्री सुमिता डावरा कर रही हैं और ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत दूसरी ईडब्ल्यूजी बैठक की सह-अध्यक्षता कर रहा है।
- दूसरी ईडब्ल्यूजी बैठक का मुख्य फोकस समावेशन, नवाचार और विकास को बढ़ावा देना है | इसके लिए निम्नलिखित मुद्दों पर जोर दिया गया -
  (i) गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित करना और उपयुक्त श्रम को बढ़ावा देना;
  (ii) डिजिटल और ऊर्जा परिवर्तनों के बीच एक उचित बदलाव सुनिश्चित करना;
  (iii) सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकियों का दोहन करना;
  (iv) रोजगार की दुनिया में लैंगिक समानता और विविधता को बढ़ावा देने पर है।
- बैठक के पहले दिन, कार्यस्थल पर लैंगिक समानता और विविधता को बढ़ावा देने के एक समग्र विषय पर विचार-विमर्श किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने नस्ल, लिंग, जातीयता या सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से इतर सभी के लिए समान प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण सुनिश्चित करके समावेशी वातावरण बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
- इस संदर्भ में, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने (i) कार्यस्थल और उससे बाहर लैंगिक समानता; (ii) प्रवासी श्रमिकों के लिए उठाए गए कदमों; (iii) वरिष्ठ नागरिकों के पुन: रोजगार को बढ़ावा देना, (iv) दिव्यांगों और कमजोर वर्ग के लोगों की कार्यबल में भागीदारी को बढ़ावा देने में भारत द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों पर प्रकाश डाला।

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने 26 मार्च, 2024 को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) के दिल्ली परिसर का दौरा किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- इस दौरान विविध दूरसंचार उत्पाद पोर्टफोलियो / समाधानों और प्रमुख दूरसंचार सुरक्षा समाधानों जैसे सुरक्षा संचालन केंद्र (नेटवर्क में मैलवेयर का वास्तविक समय में पता लगाना), उद्यम सुरक्षा केंद्र (उद्यम स्तर पर सभी अंतिम बिंदुओं को कवर करते हुए दुर्भावनापूर्ण खतरों और हमलों का वास्तविक समय में पता लगाना और उनका शमन करना), क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पर विस्तृत चर्चा की गई।
- इसके अलावा अन्य समाधानों जैसे 4जी कोर और 4जी रैन, 5जी कोर और 5जी रैन, सीएपी का उपयोग करते हुए आपदा प्रबंधन समाधान, ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट एंड एक्सेस सॉल्यूशन, स्विचिंग और रूटिंग सॉल्यूशन आदि पर भी चर्चा की गई।

- साथ ही, आधुनिक युद्ध में नेटवर्क केंद्रित से डेटा केंद्रित तक बदलते परिदृश्य के मद्देनजर उन्नत और अत्याधुनिक सुरक्षित संचार समाधानों को सम्मिलित करने के लिए सी-डॉट और वायु सेना के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता पर जोर दिया।

सी-डॉट के बारे में

- सी-डॉट दूरसंचार विभाग के अंतर्गत भारत सरकार का प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। यह रक्षा संचार और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए स्वदेशी, सुरक्षित दूरसंचार समाधान विकसित करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है।
- सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ टेलीमेटिक्स (पी-डॉट) की स्थापना अगस्त 1984 में की गई थी। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है।
- यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक पंजीकृत 'सार्वजनिक वित्त पोषित शोध संस्थान' है।
- देश में स्वदेशी दूरसंचार क्रांति के जनक के रूप में सम्मानित, सी-डॉट तीन दशक से अधिक समय से भारतीय परिदृश्य के अनुकूल दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और उत्पादन में आर एंड डी के अथक प्रयास करते हुए प्रौद्योगिकी में अग्रणी रहा है और भारतीय दूरसंचार नेटवर्क के डिजिटाइजेशन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है।
- प्रारंभिक वर्षों में, सी-डॉट ने ग्रामीण भारत में दूरसंचार क्रांति का सूत्रपात किया, जिसकी बदौलत चहुँ-मुखी सामाजिक-आर्थिक विकास हुआ। अपनी विकास प्रक्रिया में, सी-डॉट ने उद्योग जगत के लिए उपकरण विनिर्माताओं और घटक विक्रेताओं का एक विस्तृत आधार तैयार किया है। इतना ही नहीं, सी-डॉट अपने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण मॉडल के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले दूरसंचार उत्पादों और समाधानों के थोक उत्पादन में विनिर्माताओं की सुविधा के लिए दूरसंचार विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- सी-डॉट भारत सरकार के डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, भारतनेट, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्मार्ट सिटीज जैसे विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों के उद्देश्यों को साकार करने के लिए काम करके देश के दूरसंचार क्षेत्र के सुधार के लिए अपनी सुस्पष्ट प्रतिबद्धता दोहराता है।

न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में भारतीय लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर ने न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ दिलाई।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- इसके अलावा श्री पंकज कुमार और श्री अजय तिर्की ने लोकपाल सदस्य के रूप में शपथ ली।
- न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी, भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शामिल होने से पहले भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। इससे पहले, वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे।
- श्री पंकज कुमार गुजरात कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। भारत के लोकपाल के सदस्य के रूप में शामिल होने से पहले वह गुजरात के मुख्य सचिव थे। वहीं श्री अजय तिर्की मध्य प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। भारत के लोकपाल के सदस्य के रूप में शामिल होने से पहले वह भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव थे।

लोकपाल के बारे में

- 17 दिसंबर, 2013 को लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2013 संसद द्वारा पारित किया गया था जिसे 1 जनवरी 2014 को अधिसूचित किया गया और यह 16 जनवरी 2014 को प्रभावी हुआ।
- लोकपाल का प्रमुख कार्य,अधिनियम के दायरे और अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना।

- लोकपाल नौ सदस्यों की एक समिति होती है, जिसमें एक अध्यक्ष और चार न्यायिक सदस्य और अन्य क्षेत्रों के सदस्य शामिल होते हैं। उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है।
- लोकपाल के पास सरकार के भीतर कुछ प्रमुख पदों पर बैठे व्यक्तियों जैसे प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार के मंत्रियों, संसद सदस्यों और समूह ए, बी, सी और डी के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने की शक्ति है।
- इसके अतिरिक्त, अधिकार क्षेत्र का दायरा इसका विस्तार संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या केंद्र या राज्य सरकार से आंशिक या पूर्ण वित्त प्राप्त करने वाले किसी भी बोर्ड, निगम, सोसायटी, ट्रस्ट या स्वायत्त निकाय के अध्यक्षों, अधिकारियों, सदस्यों और निदेशकों को शामिल करने के लिए किया जाता है।
- न्यायमूर्ति खानविलकर भारत के दूसरे लोकपाल हैं, जबकि पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल के रूप में दो साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद मई 2022 में सेवानिवृत्त हुए।

वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के लिए सरकार की उधार योजना

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के लिए अपने उधार कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया है।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित 14.13 लाख करोड़ रुपए के सकल बाजार उधार में से, 7.50 लाख करोड़ रुपए (53.08 प्रतिशत) को पहली छमाही में दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधार लेने की योजना है, जिसमें 12,000 करोड़ रुपए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (एसजीआरबीएस) जारी करने के माध्यम से शामिल हैं। बाजार फीडबैक के आधार पर और वैश्विक बाजार प्रथाओं के अनुरूप, 15 वर्षीय अवधि की एक नई दिनांकित प्रतिभूति प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।
- 7.50 लाख करोड़ रुपये की सकल बाजार उधारी 26 साप्ताहिक नीलामियों के माध्यम से पूरी की जाएगी। बाजार उधार 3, 5, 7, 10, 15, 30, 40 और 50 वर्षीय प्रतिभूतियों में फैला होगा। विभिन्न परिपक्वताओं के तहत उधार लेने का हिस्सा (एसजीआरबीएस सहित) होगा : 3-वर्ष (4.80 प्रतिशत), 5-वर्ष (9.60 प्रतिशत), 7-वर्ष (8.80 प्रतिशत), 10-वर्ष (25.60 प्रतिशत), 15-वर्ष (13.87 प्रतिशत), 30-वर्ष (8.93 प्रतिशत), 40-वर्ष (19.47 प्रतिशत) और 50-वर्ष (8.93 प्रतिशत)।
- वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में ट्रेजरी बिल जारी करने के माध्यम से साप्ताहिक उधार पहली सात नीलामियों के लिए 7,000 करोड़ रुपए और तिमाही के दौरान (-) 3,000 करोड़ रुपए की शुद्ध उधारी के साथ बाद की छह नीलामियों के लिए 22,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है।
- पहली सात नीलामियों में 91 डीटीबी के अंतर्गत 12,000 करोड़ रुपये, 182 डीटीबी के तहत 7,000 करोड़ रुपये और 364 डीटीबी के अंतर्गत 8,000 करोड़ रुपये साप्ताहिक जारी किए जाएंगे और 91 डीटीबी के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपये, 182 डीटीबी के तहत 5,000 करोड़ रुपये और तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली बाद की छह नीलामियों में 364 डीटीबी के अंतर्गत 7,000 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।
- विदित है कि सरकारी खातों में अस्थायी विसंगतियों का ध्यान रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के लिए वेज़ एंड मीन एडवांस (डब्ल्यूएमए) की सीमा 1.50 लाख करोड़ रुपए निर्धारित की है।